(151)

प्रकरण क्रमांक : अपील/2016-2017

प्रस्तुति दिनांक : 22.08.2017

श्रीमान् न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर के समक्ष

PBR/अपील/इन्दौर/भू-रा/2017/2903

श्रीमती सौदराबाई पति श्री बद्रीलाल गेहलोत
आयु-75 वर्ष, व्यवसाय-गृहकार्य
निवासी-20, पंचायत क्षेत्र, गांधी नगर, जिला इन्दौर (म.प्र.) ...अपीलार्थी

विरुद्ध

दिलीप पिता श्री घीसालाल जी गोधा
आयु-वयस्क, धंधा-व्यापार
निवासी-192, व्यंकटेश नगर, एरोड्रम रोड़, इन्दौर (म.प्र.) ...रेस्पोडेन्टस्

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 44 (2) म.प्र. भू. राजस्व संहिता के तहत्

माननीय अपर आयुक्त महोदय, संभाग इन्दौर के अधिष्ठता महोदय श्री आनन्द कुमार शर्मा साहब द्वारा अपील क्रमांक 109/016-2017 दिलीप गोधा विरुद्ध श्रीमती सोदराबाई मै दिनांक 20.07.2017 को पारित आदेश से दु:खित होकर यह अपील समयावधि में सादर प्रस्तुत है कि :-

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/अपील/इंदौर/भू.रा./2017/2903

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-8-2018	अपीलार्थी द्वारा यह अपील अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-7-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदिका द्वारा कलेक्टर, भू-अभिलेख इंदौर के समक्ष प्रश्नाधीन भूमि के नक्शा दुरूस्ती हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । कलेक्टर द्वारा उक्त आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई । अनुविभागीय अधिकारी जांच उपरांत नक्शा दुरूस्त किये जाने हेतु प्रकरण कलेक्टर को प्रेषित किया गया । अपर कलेक्टर, इंदौर द्वारा दिनांक 14-7-2016 को नक्शा संशोधन के आदेश दिये गये, जिसके विरूद्ध प्रत्यथी द्वारा प्रस्तुत अपील अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 20-7-2017 को आदेश पारित कर अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त किया गया है । 2/ उभय पक्ष की ओर से लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 312/1/1 के नक्शा दुरूस्ती हेतु 90 वर्ष पश्चात आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, और उनके द्वारा अवधि विधान की धारा 5 मय शपथ पत्र के प्रस्तुत कर विलम्ब के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । चूंकि अपीलार्थी द्वारा सर्वे क्रमांक 312/1/1 के संबंध में सहायता चाही गई है, जिससे स्पष्ट है कि मूल सर्वे क्रमांक 312 का बटांकन होने के उपरांत अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, किन्तु अपर कलेक्टर द्वारा उक्त सर्वे क्रमांक 312 के बटांक के समस्त भूमिस्वामियों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । अपीलार्थी द्वारा भी अपने पक्ष में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिस पर कोई विचार नहीं करने में अपर कलेक्टर द्वारा त्रुटि की गई है । इस संबंध में अपर आयुक्त द्वारा विवेचना उपरांत विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं होने से अपील निरस्त की जाती है । अध्यक्ष	